The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 1 | Issue 4 | November 2023
ISSN: 2583-973X
Website: www.theacademic.in

कार्यस्थल में महिला यौन उत्पीड़न की समस्या: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डा0 पूजा त्रिपाठी
असिस्टेंट प्रोफेसर
आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टिट्यूट, कालाढुंगी रोड, शिक्षा नगर, हल्द्वानी, उत्तराखंड

ARTICLE DETAILS
Research Paper

Keywords :
यौन उत्पीडन, कार्यस्थल, अधिनियम 2013

ABSTRACT
यौन उत्पीडन की समस्या वर्तमान परिपेक्ष्य मे एक जघन्य समस्या बनकर हमारे समाज के समक्ष उपस्थित हो गयी है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन की समस्या का सामना प्रमुखतयाः नौकरी को बनाये रखने की वास्तविकता के साथ सामने नही आ पाती है। और कही न कही सामाजिक स्थिति को यथावत बनाये रखने की दुविधा के कारण भी महिलाओं को विशेषकर यौन उत्पीडन का सामना करना पडता है। इस पेपर को लिखने का प्रमुख उद्देश्य हमारे समाज में महिलाओ को उनके कार्यस्थल पर जो भी यौन उत्पीडन का सामना करना पडता है उसके प्रमुख कारणों को चिन्हित करना है। जिनका कोई Publically रिकार्ड नही होता है।इस शोध में द्वितीयक स्त्रोतो के माध्यम से ऑकडों का संग्रहण किया गया है। द्वितीयक स्त्रोतो को संग्रहण हेतु Internet Article अन्य शोध जनरल किताब का प्रयोग किया गया है, अततः यह स्वीकार किया गया है कि महिलायें भी एक कामकाजी प्राणी है और वे काम की जगह पर भी हिंसा का शिकार होती है इसके लिए अगस्त 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने देश में कार्यस्थल पर लैंगिक एवं यौन उत्पीडन रोकने के लिए विशाखा दिशा निर्देश बनाये थे।

प्रस्तावना :

महिला किसी भी परिवार की वह धुरी है जो आर्थिक, सामाजिक, स्तर पर महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने के साथ ही साथ भावात्मक स्तर पर भी अपने सम्पूर्ण परिवार को आधार प्रदान करती है। अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुदृण करने हेतु उसके प्रयास मे कार्यस्थल पर सुरक्षा का विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन से ग्रसित महिला का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक व्यवहार अत्यन्त विकृत रूप में प्रभावित होता है

*Corresponding Author: poojatripathi81@gmail.com

भारत में जनगणना 2011 के आधार पर विवेचना की जाय तो पता चलता है कि 14.58 करोड महिलाओं (व्यस्क क्षेणी) के साथ यौन उत्पीडन जैसा अपमानजनक व्यवहार हुआ है। राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2006 से 2012 के बीच आई0पी0सी0 की धारा 358 के अन्तर्गत 283407 और धारा 509 के अन्तर्गत 71843 और बलात्कार के 154251 प्रकरण रजिर्स्टड हुए है।इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि बहुत से मामले इस प्रकरण से सम्बन्धित अनछुएँ रह गये है।

हमारे संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारो मे समानता का अधिकार दिया गया है जो कि संविधान के अन्तर्गत अनुच्छेद 14 और 15 मे जीवन जीने के अधिकार तथा अनुच्छेद 21 मे स्पष्ट रूप में वर्णित है परन्तु वास्तिवकता में महिलाओं को पुरूषों के समान कार्यस्थल पर समानता को प्रदान किया गया परन्तु उनकी सुरक्षा का प्रश्न सदैव विचारणनीय बना रहा। हमारा समाज आज भी महिलाओं के लिए एक असुरक्षित स्थान के रूप मे परिणित हुआ है।

विशाखा भवरी देवी जैसे समाज को शर्मशार कर देने वाले अपराधों के कारण ही दिसम्बर 2013 में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) कानून 2013 बनाया गया।

कार्यस्थल में यौन उत्पीडन की समस्या का विकास 5 वर्षो में सर्वाधिक सामने आया है। 95% कर्मचारियों द्वारा किसी न किसी रूप में कार्यस्थल पर इस प्रकार के व्यवहार की बात उल्लिखित की गयी है (fox and stallworth 2005; and Einarsen, Hoel, Zapf and cooper, 2011) शिक्षा जगत मे कार्यस्थल पर उत्पीडन सम्बन्धी मामलों में विभिन्न उपाधियों सम्बन्धी मामले विभिन्न देशो मे United state 46.8% (Lutgen-sandisk, Tracy and Alberts, 2007) India-44% (D'Cruz and Rayner, 2013; and Rai and Agarwal in press); Turkey 40% (Bilgel, Aytacs and Bayram, 2006; and yildiz, Tuzunturk and Giorgi, 2008); Italy 16% (Giorgi, Arenas and Leon-Perez, 2011); and Scandinaria and यूरोप के अन्य भाग–3.5 से 10% (Leymann,1996; and Einarsen,Hoel, Zapf and Cooper, Zoll)

अध्ययन के उद्देश्य :

इस शोध प्रपत्र को लिखने का प्रमुख उद्देश्य है–

1. यौन उत्पीडन सम्बन्धी वर्तमान और उपलब्ध ऑकडो मे वृद्वि और ह्यस मे मामलो की विवेचना करना।
2. कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन से ग्रसित महिलाओं हेतु कुछ सुझाव प्रस्तुत करना।
3. कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन को रोकने हेतु बने कानूनो व नियमों की समीक्षा करना।

शोध विधि एवं शोध प्रणाली :

प्रस्तुत शोध प्रपत्र में वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक शोध विधि को अपनाया गया है, शोध प्रपत्र मे द्वितीयक स्त्रोतो को जानकारी और ऑकडे संग्रहण हेतु प्रयुक्त किया गया है। इसमे जर्नरल और यौन उत्पीडन, कार्यस्थल पर से सम्बन्धित पत्रिकाओं को प्रयुक्त किया गया है, जो कि विश्लेषणात्मक और स्पष्ट परिणाम प्राप्त करने में सहायक है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 –

सन् 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन अधिनियम को पारित किया गया यह अधिनियम संस्थाओं मे 10 से अधिक कार्यरत लोगो के उपर लागू होता है।

इस अधिनियम मे विशाखा केस के सभी निर्देश सम्मिलित किये गये है, और बहुत से अन्य शक्तियों के समाहित किये हुए है, जैसे – शिकायत समितियों को सबूत जुटाने में सिविल कोर्ट वाली शक्तियॉ प्रदान की हैः यदि नियोक्ता अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने में असफल होता है तो उसे 50000 रूपये से अधिक अर्थदण्ड देना होगा ये अधिनियम अपने क्षेत्र में गैर संगठित क्षेत्रो जैसे–दैनिक मजदूर घरो में काम करने वाली महिलाओं आदि को भी शामिल करता है।

इस अधिनियम मे कुछ कमियॉ भी दृष्टिगोचर होती है क्योंकि यह यौन उत्पीडन को केवल नागरिक दोष ही मानता है कोई अपराध नही, जबकि वास्तविकता के अनुसार यह एक जघन्य अपराध के रूप में माना जाना चाहिए, इस कृत्य से पीडित भी यही चाहता है, और इस स्थिति में पीडिता पर उसके वरिष्ठ कर्मचारी द्वारा अपनी शिकायत वापस लेने हेतु हर सम्भव दबाव डाला जाता है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यह अधिनियम भी बहुत सारे दोष के कारण सही रूप में कार्य नही कर सका क्योंकि इस प्रकार की शिकायत को अपराधिक शिकायत धारा 354 के अर्न्तगत दर्ज कराया जाता है जोकि यौन उत्पीडन की विशेष धारा नही सामान्य धारा के रूप मे ली जाती है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश देने के बावजूद भी अधिकांशत ऐसे यौन उत्पीडन के मामले बिना पंजीकरण के रह जाते है, 1997 का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश यौन उत्पीडन को परिभाषित भी करता है, (विशाखा बनाम राजस्थान राज्य अगस्त 1997) शामिल यौन व्यवहार–

1. शारीरिक सम्पर्क और यौन रंगीन टिप्पणी
2. पोनोग्राफी दिखाना

3. यौन सम्बन्ध स्थापित करना (बिना दोनो की स्वीकृति के)

4. यौन उत्पीडन (अवांछित शारीरिक मौखिक या गैर मौखिक आचरण) जैसे – गंदे चुटकले बताना, किसी के शरीर के बारे में यौन टिप्पणी करना।

कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीडन (यौन) पर कोई कानून नही था इसलिए लोकसभा द्वारा (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 पारित किया गया था तथा बाद में इसे पास कर दिया गया था।

निष्कर्ष :

नीचे प्रदर्शित ग्राफ के आधार पर देखा जा सकता है कि भारत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन के मामला या प्रकरण प्रतिवर्ष बढोत्तरी कर रहा है राष्ट्रीय अपराध प्राधिकरण संस्थान की रिर्पोट के अनुसार कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन के प्रकरणों मे वर्ष 2016 मे 539 और वर्ष 2017 मे 570 और वर्ष 2018 में 965 मामलें पंजीकृत किये गये।

वर्ष	2016	2017	2018
प्रकरण की संख्या	539	570	965

NCW द्वारा यौन उत्पीडन कार्यस्थल पर में जो ऑकडे एकत्रित किये गये उनके अनुसार 2019 में पंजीकृत मामलों की संख्या 29 है।

She Box portal के अनुसार कार्यस्थल पर पंजीकृत शिकायतों मे 423 मामले दर्ज करायें गये है, मामलो को समाप्त कर दिया गया है।

राष्ट्रीय अपराधिक प्राधिकरण संस्थान द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन के ऑकडो का संग्रहण section-509 के अन्तर्गत किया गया, 2014 तक 57 और 2015 में 119 तथा 2016 में 142 उत्पीडन के मामले पंजीकृत किये गये।

वर्ष	2014	2015	2016
प्रकरण पंजीकृत	57	119	142

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन के मामलों मे भारत मे 54% मामलें संज्ञान मे आये है जिसमें 371 मामलें वर्ष 2014 में, 570 मामले 2017 में रजिस्र्टड हुए है। मंत्रालय के अनुसार 533 मामले वर्ष 2018 मे शुरूआती 7 महिनो मे सामने आये है।

सुझाव :

1. सभी संस्थानो को अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन से सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
2. योग्य व कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन विषय सम्बन्धित अनुभवी व्यक्तियों द्वारा समय–समय पर कार्यशाला, सेमिनार आयोजित करवायी जानी चाहिए।
3. आन्तरिक शिकायत समिती, शिकायत सेल सभी संस्थानों मे गठित की जानी चाहिए।
4. अधिकाधिक नौकरी और पदोन्नति के अवसर हेतु महिलाओं का कुछ भाग आरक्षित होना चाहिए।
5. महिलाओं के अधिकारो और कानूनी अधिकारों की जानकारी हेतु सक्षम व जानकार व्यक्तियों द्वारा संस्थानों मे संगोष्ठी का आयोजन करवाया जाना चाहिए।

References

1. https://www.legalserviceindia.com
2. Rauf Ahmad Bhat, Prof. Dr. Anita Deshpande - An overview of sexual Harrassment of women at work place in india: Analytical study.
3. www.forbesindia.com
4. ncrb.gov.in
5. https://www.shebox.nic.in
6. https://www.ilc.org